न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA149 Jairam etc Vs Bagaduram etc

1. जयराम पुत्र अजीताराम विश्नोई
2. महीपाल पुत्र अजीताराम विश्नोई
3. जोधाराम पुत्र अजीताराम विश्नोई
4. बगडुराम पुत्र गुलाबराम विश्नोई
5. भागीरथराम पुत्र गुलाबराम विश्नोई
6. मगनाराम पुत्र गुलाबराम विश्नोई

निवासीगण शिवपुरी जम्भेश्वरनगर लोहावट
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्

ब

ना

म

1. बगडुराम पुत्र सांवतराम विश्नोई
2. हनुमानराम पुत्र कानाराम विश्नोई
3. मनोहरलाल पुत्र कानाराम विश्नोई
4. खींयाराम पुत्र गुलाबराम विश्नोई
5. रामलाल पुत्र बुलाराम विश्नोई

निवासीगण शिवपुरी जम्भेश्वर नगर लोहावट
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

6. शाखा प्रबन्धक, युको बैंक, शाखा लोहावट
7. तहसीलदार लोहावट

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 विरुद्ध आदेश
उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 25 जुलाई
2018 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 360/2017
बगडूराम बनाम जयराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से पॉच
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 10 जन., 2020

अपीलाण्ट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 360/2017 बगडूराम बनाम जयराम व अन्य में पारित आदेश के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. बगडूराम ने सरहद मौजा शिवपुरी पटवार हळका लोहावट स्थित आराजी खसरा संख्या 2374/1 रकबा 36 बीघा 07 बिस्वा के पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण संख्या एक से आठ की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 2367 रकबा 34 बीघा 07 बिस्वा, उसके आगे की उत्तरी माठ तथा आगे उसके उत्तर में खसरा संख्या 2370 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा और फिर अप्रार्थी संख्या 9 की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 2371 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा के पूर्व कणे-कणे चले रहे रास्ते तक आवागमन हेतु प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में स्याही से मार्क विद्यमान 20 फीट चौडा रास्ता मांगते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 25 अक्तूबर 2017 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, 23 मार्च 2018 को अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना आदेशिका में वर्णित किया गया। फिर 13 जुलाई 2018 की आदेशिका अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना, निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया जाना वर्णित किया गया जबकि अपीलाधीन आदेश 25 जुलाई 2018 को पारित किया गया। उक्त आदेश के खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 09 फरवरी 2018 एवं 23 फरवरी 2018 की आदेशिकाए तलबी बाबत लिखी गयी है, जिनमें 23 फरवरी 2018 की आदेशिका में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरारामं विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना वर्णित किया गया है। मगर बकाया अप्रार्थीगण की तलबी या तामील के बारे में कुछ भी वर्णित नहीं किया गया। इसी प्रकार 23 फरवरी 2018 की आदेशिका में जबाब पेश किये जाने बाबत निर्देश दिये गये। मगर बाद की आदेशिकाओं में जबाब प्रार्थनापत्र बाबत कुछ भी वर्णित नहीं किया गया है। दिनांक 23 मई 2018 की आदेशिका में प्रकरण कैम्प लोहावट पेश होने का उल्लेख है। कैम्प में दिनांक 13 जुलाई 2018 को प्रकरण निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किये जाने का उल्लेख है। मगर पत्रावली में दिनांक 13 जुलाई 2018 का कोई फैसला नहीं है। अपितु उसके बाद दिनांक 25 जुलाई 2018 को तहसीलदार की रिपोर्ट और उसी दिनांक यानि 25 जुलाई 2018 का अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बिना किसी आदेशिका के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अस्तित्व में आना प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपास्त किये जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार की आदेशिका लिखे जाने अथवा तारीख संबंधित कोई भूलचूक रही हो तो ऐसी तकनीकी भूल में प्रार्थी का कोई दोष नहीं है और न ही इस प्रकार की किसी तकनीकी या मानवीय अथवा विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकिया संबधित भूलों की सजा पक्षकार को दी जानी चाहिये, जिसके लिये पक्षकार खुद उत्तरदायी नहीं हो। प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा अपने खातेदारी के खेत तक आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया था। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से बहाल रखा जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में कुल 11 अप्रार्थीगण थे, जिनमें से अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 23 मार्च 2018 को अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अन्य किसी भी अप्रार्थी पर तामील समुचित होने या नहीं होने, उसकी उपस्थिति बाबत न्यायालय द्वारा उनकी ओर से जबाब पेश होने या नहीं होने बाबत किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नही की गयी और न ही इस बाबत विधिक प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की गयी। दिनांक 13 जुलाई 2018 की आदेशिका में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है। मगर मौका रिपोर्ट तलब कब की गयी? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध किसी भी आदेशिका से यह प्रकट नहीं होता। दिनांक 13 जुलाई 2018 की आदेशिका अनुसार निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाना वर्णित है, मगर पत्रावली में 13 जुलाई 2018 का कोई निर्णय/आदेश नहीं है। न ही 13 जुलाई 2018 या उसके पहले की प्राप्त कोई मौका रिपोर्ट है। इसके विपरीत दिनांक 25 जुलाई 2018 की मौका रिपोर्ट एवं उसी रोज 25 जुलाई 2018 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके संबंध में कोई आदेशिका पत्रावली में अंकित नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अत्याधिक विसंगतियों एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विरोधाभासों से परिपूर्ण होने के कारण कतई समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25 जुलाई 2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट संख्या दो तथा खसरा नम्बर 2371 के खातेदारों को छोडकर शेष अप्रार्थीगण को जबाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे एवं संबंधित तहसीलदार/भू-अभिलेख निरीक्षक से पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट पुनः तलब की जाकर नियमानुसार मामले में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30 जनवरी 2020 को उपस्थित रहे तथा उसी रोज अपीलाण्ट्स अपना जबाब पेश किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर